

तारीख हुक्म	<p style="text-align: center;">हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज  <b>न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, क्रम 0 3 अजमेर</b>  <b>दीवानी अपील संख्या 11/2017</b>  <b>सीआईएस संख्या 24/2017</b>  <b>श्रीमती प्रेम कुमारी बनाम प्रीती नेल्सन</b></p>	<p style="text-align: center;">नम्बर व तारीख  अहकाम जो इस हुक्म  की तामील में जारी हुए</p>
01.04.2026	<p>वकुलाय फरिकेन उपस्थित। अपीलार्थीया के विधिक वारिस श्रीमती मधू भसीन की ओर से अधिवक्ता श्री एन.के. दोषी उपस्थित, जिनके द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1 सपठित धारा 151 सीपीसी पेश कर निवेदन किया गया कि वादग्रस्त सम्पत्ति अपीलार्थीया की वसीयत के आधार पर श्रीमती मधु के पुत्र मुदित भसीन को प्राप्त हो गयी है, जिसके द्वारा वादग्रस्त सम्पत्ति बाबत पृथक से किराया अधिकरण के समक्ष अर्जी पेश कर दी गयी है। अतः अपीलार्थीया मुदित भसीन के अधिकारों को सुरक्षित रखते हुये, इस प्रकरण में नया प्रकरण पेश होने से अपीलार्थीया कोई कार्यवाही नहीं चाहती है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उपरोक्त अपील जरिये विड्रोवल खारिज की जावे ।</p> <p>पत्रावली का अवलोकन किया गया। चूंकि अधिवक्ता अपीलार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर नया प्रकरण पेश कर दिये जाने के आधार पर इस प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चाही गयी है। अतः हस्तगत अपील जरिये विड्रोवल खारिज की जाती है। पत्रावली में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेशिका की प्रति के साथ विचारण न्यायालय की पत्रावली अविलम्ब प्रेषित की जावे।</p> <p style="text-align: center;">(नीरज गुप्ता)  अपर जिला न्यायाधीश,  क्रम-3, अजमेर</p>	